पटना नगर निगम

नगर भवन, डिस्ट्रीक्ट नं0, बेलवांकर कालोनी, राजा बाजार रोड, पटना-800001

पत्र संख्या- /प0न0नि0

प्रेषक,

उप निदेशक,
शहरी योजना शाखा,
पटना नगर निगम, पटना।

सेवा में,

श्री अमर आनन्द, निदेशक,
मेसर्स कान्सिकॉन कन्सट्रक्शन प्रा० लि०,
तृतीय तल, विराट कॉम्पलेक्स,
बोरिंग रोड, पटना।

पटना, दिनांक- / /2017 ई०।

विषय: **प्लान केस सं०-P/Dhanaut/PRN/B+G+5/187/2016 की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

आपके आवेदन सं0-P/Dhanaut/PRN/B+G+5/187/2016 दिनांक-19.06.2016 के संदर्भ में श्री अमर आनन्द, निदेशक, मेसर्स कान्सिकॉन कन्सट्रक्शन प्रा0 लि0, तृतीय तल, विराट कॉम्पलेक्स, बोरिंग रोड, पटना के लिए भवन निमार्ण के लिए पटना नगर निगम/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित विकास योजना/आयोजना प्राधिकार/आयोजना स्कीम के प्लॉट सं0-1280 (अंश), 1281 (अंश), 1282 (अंश), 1283 (अंश), 1286 (अंश), 1287 (अंश), 1294 (अंश), 1295 (अंश), 1296 (अंश), 1297 (अंश), 1298 (अंश) एवं 1299 (अंश), खाता सं0-163, 164, 129, 108, 136, 155, 157, 108, 172, 129 एवं 148, थाना सं0-20, मौजा-धनौत, लोहिया पथ के नजदीक, नित्तिबाग, पटना के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्बंधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

(क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया (A+B+C+D+E Block) 6232.84 वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 07.17 मीटर से 10.50 मी0 (औसतन 09.238 मी0) चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो। P.T.O.

FOR CONCICON CONSTRUCTION PVT. LTD.

(च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ पटना नगर निगमों 06.883 मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।

(छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किये जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(ज) इस उपबन्ध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

(झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित/ की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वत: रद्द समझी जाएगी।

(ञ) भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यता की जिम्मेवारी आवेदक की है भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/हेर-फेर/कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

(ट) बिहार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली, 2017 की शर्तों के अधीन राज्य में गठित भू-सम्पदा विनियमन प्राधिकरण से इस परियोजना का निबंधन अनिवार्य होगा।

विश्वासभाजन,

ह0/-

उप निदेशक, शहरी योजना,
पटना नगर निगम, पटना।

ज्ञापांक-6290 /पटना, दिनांक- 30 / 06 /2017 ई0।

प्रतिलिपि:- योजना की अनुमोदित प्रति के साथ विकास योजना/आयोजना प्राधिकार या किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ नगर निगमों/नगर परिषद्/नगर पंचायतों/महानगर क्षेत्र को सूचनार्थ अग्रसारित।

उप निदेशक, शहरी योजना,
पटना नगर निगम, पटना।

''बेहतर हो पहचान अपना, विकसित राजधानी सुन्दर पटना''।

FOR CONCICON CONSTRUCTION PVT. LTD.